राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.12(12)साप्र / 5 / 2020–00061 जयपुर, दिनांकः 20.06.2023

—:: आज्ञा ::—

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित हाउसकीपर सीधी भर्ती परीक्षा–2022 में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत विश्राम भवनों में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर हाउसकीपर के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 18500 / – रूपये प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–8 (L-8) पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्दारा नियुक्त किया जाता हैः–

S.N.	ROLL_NO	RANK	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GENDER	CATEGORY	H_CAT	TSP	SEL_CAT
1	300494	1	RAM VINOD SHARMA	SHRI PRAHLAD SHARMA	21-JUN-1990	MALE	GEN-EWS		NO	GEN
2	300380	2	GIRISH AGNANI	SURESH KUMAR AGNANI	26-NOV-1998	MALE	GEN-EWS		NO	GEN
3	300690	3	SATYA DEV SINGH KRISHNAWAT	HARI SINGH KRISHNAWAT	30-DEC-1991	MALE	GEN-EWS		NO	GEN
4	300218	4	MOHAMMAD AASIF KHAN	MUNNA KHAN	24-SEP-1985	MALE	OBC		NO	GEN
5	300152	5	SOURABH TANDON	RAJESH KUMAR TANDON	21-JUL-1989	MALE	GEN		NO	GEN
6	300825	6	RAMESH CHAND POONIYA	GOPAL POONIYA	03-AUG-1994	MALE	OBC		NO	GEN
7	300248	7	RAMAVTAR MOURYA	PEMA RAM	12-SEP-1985	MALE	SC		NO	GEN
8	301190	8	DHIRENDRA SINGH	DROPAD SINGH	03-FEB-1994	MALE	GEN-EWS		NO	GEN-EWS
9	300252	9	AJAY CHOUDHARY	CHELA RAM CHOUDHARY	04-APR-1998	MALE	OBC		NO	OBC
10	301631	10	HISHANT KUMAR DEVATWAL	HARAKNARAYAN DEVATWAL	30-JUN-1995	MALE	SC		NO	SC
11	301139	11	AMAN MATHUR	RADHA MOHAN MATHUR	25-APR-1997	MALE	GEN-EWS		NO	GEN-EWS
12	300814	14	UDAIVEER SINGH RATHORE	SHARWAN SINGH RATHORE	06-AUG-1989	MALE	GEN-EWS		NO	GEN-EWS
13	301244	36	KHUSHBOO TRIPATHI	RAJENDRA TRIPATHI	12-JUL-1989	FEMALE	GEN		NO	GEN
14	301252	38	ANIL KUMAR SAMARIYA	SOHAN LAL SAMARIYA	10-JUN-1985	MALE	SC		NO	SC
15	301313	40	SUNIL KUMAR KALA	MOHAN LAL KALA	22-SEP-1989	MALE	SC		NO	SC
16	301953	46	AMIT KUMAR MEENA	SAMPAT LAL MEENA	01-FEB-1995	MALE	ST		NO	ST
17	301214	68	RAVI MAURYA	BACHCHAN LAL MAURYA	09-AUG-1995	MALE	SC		NO	SC
18	300094	80	ANAND MEENA	SHANKER LAL MEENA	08-JUL-1992	MALE	ST		NO	ST
19	301092	100	SHWETA TAK	GANPATLAL TAK	14-DEC-1991	FEMALE	GEN		NO	GEN
20	301440	154	POOJA	NATHU RAM	01-FEB-1990	FEMALE	OBC		NO	OBC
21	301489	183	VIJENDAR KUMAR SAINI	BANWARI LAL SAINI	05-JUL-1982	MALE	OBC	EX	NO	OBC
22	301295	199	GIRIRAJ PRASAD MEENA	RAMJI LAL MEENA	14-FEB-1985	MALE	ST		NO	ST
23	300716	233	SHIVANI CHOUHAN	MAHAVEER	25-MAY-1994	FEMALE	SC		NO	SC
24	301297	281	NAZIYA KHAN	IDRIS KHAN	01-DEC-1986	FEMALE	GEN	DIV	NO	GEN
25	300397	284	MUKESH KUMAR	DHARM SINGH	15-JUN-1987	MALE	OBC	EX	NO	OBC
26	300600	571	ROHITASHAV	JAGDISH PRASAD	20-JUL-1983	MALE	OBC	EX	NO	OBC
27	300036	807	DEV NARAYAN KASANA	HAJARI LAL KASANA	05-SEP-1984	MALE	MBC	LDCP	NO	MBC
28	300758	28	TARUN JOSHI	MUKESH JOSHI	24-NOV-2000	MALE	GEN	-	YES	GEN
29	301035	42	YOGENDRA SINGH SISODIYA	MAHENDRA SINGH SISODIYA	07-MAR-2002	MALE	GEN	-	YES	GEN
30	300439	390	HEMANT KUMAR MEENA	DALJI BHAI MEENA	07-NOV-1979	MALE	ST	-	YES	ST

......P.T.O.

1. उक्त नियुक्ति एस.बी.सिविल अपील संख्या 7788/2023 गौरवपाल सिंह भाटी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार इस विभाग में सम्भालना होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि कब तक कार्यभार संभालेगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि हाउसकीपर के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना प.14(1)वित्त (नियम)/2013–।। दिनांकः 28.06.2013 तथा प.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित SLP No. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें।
6. परिवीक्षाधीन अवधि (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
8. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको हाउसकीपर के पद पर राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
9. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण हाउसकीपर के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–8 (L-8) में एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे।
10. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं होने तक नियुक्तियां प्रोविजनल (Provisional) रहेगी।
14. सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किया जाकर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

.......P.T.O.

15. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है, तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
16. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
17. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ / कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की रैंक सूची के आधार पर ही होगा।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

20/06/2022

(डॉ0 हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–5 / भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग– विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. निजी पत्रावली में रखने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव